सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –03.06.2025

थाना एट में पंजीकृत मु0अ0सं0- 210/23 धारा 471/468/467/420 भादवि व मु0अ0सं0 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण धिनियम 1986 से सम्बन्धित गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान 10 -ई 18 निजामुद्दीन वेस्ट पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये करीब 1,68,13,32,600/- रूपये की अचल सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की गयी।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 21.12.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना एट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एट टोल प्लाजा के पास एक ट्रक कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ था तथा प्रपत्रों की जांच में फर्जी कूट रचित दस्तावेज एवं अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जाना पाया गया था। पूंछताछ के दौरान ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों में उक्त कंटेनर में फिश फूड लदा होना अंकित था उक्त प्रकरण की गहराई से छानबीन की गयी थी ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्र कूट रचित एवं फर्जी पाए गए। अतः उक्त वाहन को कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध मांस को पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट में गोमांश की पुष्टि हुयी थी। मान0 न्यायालय से गौमांश के निस्तारण की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार जमीन में दफन करा दिया गया था।

विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-10-ई 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर व उसके अन्य 05 साथियों के विरूद्ध थाना एट में मु0अ0सं0 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधा क्रियाकलाप निवारण धिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोंच द्वारा की जा रही है। गैंगेस्टर अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर के विरूद्ध संपत्ति जव्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु श्रीमान जनपद मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा आदेश जारी किया गया था। अभियुक्त

अतीक अहमद उपरोक्त की गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54, 45, 44/1 में स्थित ओमर इंटर नेशनल स्लाटर हाउस व गाटा संख्या 47 पर स्थित तालाब तथा गाटा संख्या 101 व 122 मि. में स्थित कृषि योग्य भूमि को नियमानुसार राजस्व टीम में सम्बंधित क्षेत्रीय लेखपाल व नियुक्त प्रशासक SDM धामपुर जनपद बिजनौर व स्थानीय गवाहों के समक्ष कुर्क कर दृश्यमान जगह पर नोटिस लगावाये गए व मुनादी करवाई गयी।

अभियुक्त का कोई रजिस्र्टड व्यवसाय नहीं है तथा अभियुक्त के ज्ञात आय के स्रोत भी इतने नही है कि उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति क्रय की जा सके, अभियुक्त द्वारा जनपद बिजनौर में अपराध से अर्जित धन से ही अचल सम्पत्ति क्रय की गयी है। अतः अभियुक्त की अचल सम्पत्ती अनुमानित कीमत करीब 1,68,13,32,600 रूपये की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1- गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54, 45, 44/1 में स्थित ओमर इंटर नेशनल स्लाटर हाउस एवं गाटा संख्या 47 पर स्थित तालाब तथा गाटा संख्या 101 व 122 मि. में स्थित कृषि योग्य भूमि (अनुमानित कीमत करीब 1,68,13,32,600 रूपये)

विवरण अभियुक्त-

1- अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-10 ई 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

सम्पत्ती जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1. कोतवाली कोंच पुलिस टीम,
2. उपजिलाधिकारी धामपुर व राजस्व टीम बिजनौर।